न्यायालय-अपर सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम., कोर्ट नं०-4, मुजफ्फरनगर

मौ. नौशाद बनाम सलीम

परिवाद नं0-14664/2022

थाना-सिविल लाइन, जिला मुजफ्फरनगर

07/01/2026

1- पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहा है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0 प्र 0 सं0 हेतु नियत है। परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। कई बार अवसर दिये जाने बाद भी परिवादिनी के द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं०अंकित नहीं कराया गया है। परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। परिवाद- पत्र के समर्थन में परिवादी द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य साक्षी को अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवाद-पत्र के समर्थन में धारा 200 दं०प्र०सं० में कोई साक्ष्य न होने के कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रथम दृष्टया कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्तगण तलब किए जाने योग्य नहीं है।

2- तदनुसार परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं0 प्र 0 सं0 में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं0 प्र 0 सं0 में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(तुषार जायसवाल)

अपर सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम., कोर्ट नं०-4

मुजफ्फरनगर

J.O.CODE-UP03690